(a) whether the Incharge of C.G.H.S. dispensary, Sector 12, R.K. Puram, issues medicine authority slips only to VIPs and persons close to him and refuses to issues to same to the general beneficiaries.

(b) how many authority slips were issued to the beneficiaries during this year till date and whether those were essential for them and what are the names of the medicines which were prescribed by the specialists;

(c) whether due to the callousness and inefficiency of the Incharge, C.G.H.S. beneficiaries have to wait for weeks to get the indented medicines;

(d) whether the medicines prescribed by the specialists are substituted further and further repeatedly spoiling the very purpose of the treatment; and

(e) if so, what action has been taken against the Incharge in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) No, Sir.

(b) 290 Authority Slips were issued from 1.1.1995 to 5.5.1995. The medicines requiring immediate use were issued with the Authority Slips when such medicines were not available in the Dispensary. The medicines issued are indicated below:—

(i) Anti-Rabies Injection
(ii) Skin Ointments
(iii) Eye Drops
(iv) Anti Diabetic Injection
(v) Anti Cancer Drugs
(vi) Hermonal Preparations
(vii) Antibiotics
(viii) Anti Spasmodic and Cardiac Medicines.

(c) and (d) No, Sir.

(e) Does Not arise.

Supreme Court's direction regarding Mental Hospitals

7274. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court has directed the setting up of autonomous bodies for the management of Ranchi, Agra and Gwalior Mental Hospitals;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken to implement the directions of the apex court?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) The respective State Governments have been directed to set up autonomous bodies.

(b) and (c) The management Committee shall have full administrative and financial powers. The Director of the Institute will execute the administrative and financial powers of a State level head of Department. The reports and audited accounts of the Hospitals shall be laid before the respective legislative assemblies.

देश में बाल मृत्यु दर

7275. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार बाल मृत्यु दर कितनी है;

(ख) क्या पिछले कुछ दशकों में इस दर में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व की बाल मृत्यु दर की तुलना में भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(च) क्या पिछले कुछ दशकों से देश में नव-युवा माताएं अपने नवजात शिशुओं को अपना स्तनपान नहीं करवा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोषण के अभाव से

भी बाल-मृत्यु की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, और देश में बाल-मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) (क) 1993 के दौरान बड़े राज्यों तथा 1990-92 की अवधि के दौरान छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) जी हां। पिछले कुछ दशकों के दौरान की शिशु मृत्यु दर इस प्रकार है:

वर्ष	1971	1981	1991	1993
शिशु मृत्यु दर	129	110*	80*	74*

*जम्मू व कश्मीर को छोड़कर

(घ) और (ङ) संयुक्त राष्ट्र के "वर्ल्ड एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शनस, 1950—2025" के अनुसार 1990—95 की अवधि के दौरान विश्व में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 63 आंकी गई है। भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार 1993 में भारत में शिशु मृत्यु दर 74 थी।

(च) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1992-93) के निष्कर्षों के अनुसार 0-3 महीने की आयु के सभी बच्चों में से 98 प्रतिशत बच्चों को स्तनपान कराया जाता है। शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए टीकाकरण, अतिसार तथा न्यूमोनिया के प्रबंध, विटामिन "ए" की कमी पर नियंत्रण, रोग निरोध तथा रक्ताल्पता का उपचार, प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन तथा प्रसव के बाद की परिचर्या, स्तनपान को बढ़ावा देना तथा आयोडीन की कमी के नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विवरण

शिशु मृत्यु दर, भारत तथा बड़े राज्य (1993)
(स्रोत—नमूना पंजीयन योजना)

भारत	**74***
बड़े राज्य	
1. आन्ध्र प्रदेश	64
2. असम	81
3. बिहार	70
4. गुजरात	58
5. हरियाणा	66
6. कर्नाटक	67
7. केरल	13
8. मध्य प्रदेश	106
9. महाराष्ट्र	50
10. उड़ीसा	110
11. पंजाब	55
12. राजस्थान	82
13. तमिलनाडु	56
14. उत्तर प्रदेश	94
15. पश्चिम बंगाल	58

*जम्मू व कश्मीर को छोड़कर

तीन वर्षों की चल औसत के आधार पर छोटे राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर (1990-92)**
(स्रोतः नमूना पंजीयन योजना)

भारत	80
छोटे राज्य	
1. अरुणाचल प्रदेश	64
2. गोवा	20
3. हिमाचल प्रदेश	70
4. जम्मू व कश्मीर	69†
5. मणिपुर	24
6. मेघालय	58
7. नागालैंड	10
8. सिक्किम	46
9. त्रिपुरा	51
संघ राज्यक्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33
2. चंडीगढ़	16
3. दादरा और नगर हवेली	68
4. दमण और दीव	57
5. दिल्ली	44
6. लक्षद्वीप	36
7. पांडिचेरी	30

**अनन्तिम

†एक करोड़ से कम आबादी वाले शहर

††1988-90 की अवधि से संबंधित